

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा  
पीठासीन अधिकारी- दुर्गाशंकर मीना, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या : 90/16

- 1 देवलाल आत्मज परसा जी, जाति बंजारा, निवासी ग्राम खेडा जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

- 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा  
2 नगर विकास न्यास, कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक : 13.07.2018

निर्णय

वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया गया कि वादी को आराजी खसरा नम्बर 6 रकबा 2 बिघा 9 बिस्वा वाके ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की भूमि पर विगत कई वर्षों से कब्जा होने के कारण वादी को उक्त भूमि का विधिवत आवंटन दिनांक 15.05.1981 को भूमि आवंटन सलाहकार समिति, लाडपुरा द्वारा किया गया था। उक्त भूमि पर वादी को कब्जा भी दे दिया गया था। इसके पश्चात वादी के नाम उक्त भूमि पर इंतकाल नम्बर 83 दिनांक 30.06.1981 को उक्त आराजीयात वादी के गैर खातेदारी में भी दर्ज की जा चुकी थी और उक्त इंतकाल नं. 83 का इन्द्रातज राजस्व जमाबन्दी संवत 2034-2037 में अंकित कर दिया था और उक्त भूमि पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और आज भी काबिज काश्त है।

ग्राम उम्मेदपुरा का राज्य सरकार के निर्देशानुसार सर्वे व सेटलमेन्ट संवत 2038-2057 (वर्ष 1981 से 2000) में किया गया, जिसमें उक्त भूमि का गत खसरा नम्बर 6 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, जिसके हाल खसरा नम्बर 4 रकबा 0.89 हैक्टर कायम किया गया, उसमें वादी का रकबा 0.41 हैक्टर है और सेटलमेन्ट विभाग ने उक्त पूर्व आवंटन जो वादी के नाम आवंटित होकर गैरखातेदारी में दर्ज की हुई भूमि को विलोपित करते हुये सेटलमेन्ट विभाग ने उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया जो सेटलमेन्ट विभाग द्वारा विधिवत व न्यायिक प्रक्रिया के तहत वादी को आवंटित भूमि को सिवायचक दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है और पूर्व प्रविष्टियों में परिवर्तित करते हुये नई प्रविष्टियों का सृजन करने का सेटलमेन्ट विभाग को अधिकार नहीं होते हुये भी, उक्त भूमि जो वादी को नियमानुसार आवंटित होकर गैरखातेदारी में दर्ज की गई थी, उसको सिवायचक करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। उक्त भूमि पर वादी काबिज काश्त है, इसके बाबत उक्त भूमि सिवायचक होने के बाद वादी को नायब तहसीलदार, मण्डाना के द्वारा व भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 95(7) सपठित धारा 91 के तहत नोटिस भी प्रसारित किये गये थे। उक्त वादी द्वारा नोटिस की शास्ती भी नायब तहसीलदार के कार्यालय में जमा कराई गई थी तथा वादी द्वारा उक्त

Page 1 of 5

सहायक कलक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर, कोटा

भूमि सेटलमेन्ट के बाद भी बदस्तूर काबिज काशत रहा व उक्त भूमि पर काशत करता चला आ रहा है। इसके लिये वादी ने नायब तहसीलदार मण्डाना के कार्यालय में उक्त आवंटित भूमि जो सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज की जा चुकी थी, उसको गैर खातेदारी में दर्ज किये जाने हेतु समय समय पर प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये गये थे।

वादी उक्त भूमि का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 15.05.1981 को विधिवत गत आराजी खसरा नम्बर 6 रकबा 2 बिघा 9 बिस्वा को आवंटित हुई थी और उक्त भूमि का पट्टा भी उपजिलाधीश, कोटा द्वारा वादी के पक्ष में जारी किया गया था। तत्पश्चात उक्त भूमि पर वादी को गैर खातेदारी भी दर्ज हो चुकी थी। इसके बावजूद भी सेटलमेन्ट विभाग ने वादी की गैर खातेदारी भूमि को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये और बिना वादी को सुने प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में सिवायचक दर्ज कर दिया था तथा बाद में उक्त भूमि संवत 2070 में नगर विकास न्यास, कोटा के खाते में दर्ज की जा चुकी है, इसलिये उक्त वाद में दोनों पक्षकारों को प्रतिवादी क्रम 1 व 2 बनाया गया है। प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में सिवायचक दर्ज होने के कारण उक्त भूमि संवत 2070-2073 की जमाबन्दी में उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 2 नगर विकास न्यास, कोटा के नाम नामान्तरकरण तस्दीक होकर उसकी खातेदारी में दर्ज की गई है और उक्त आवंटित भूमि के हाल खसरा नम्बर 4 रकबा 0.89 हैक्टर में से 0.41 हैक्टर वाके ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा पर वादी वास्तविक तौर पर काबिज काशत है और उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 2 नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा कब्जा करने व उक्त भूमि से वादी को बेदखल करने के प्रयास में प्रयत्नशील है। उक्त भूमि वादी को बैध रूप से आवंटित हुई है। और आवंटित भूमि से वादी के गैरखातेदारी में दर्ज की गई है, उससे वादी को बेदखल होना पड़ेगा।

दौराने वाद प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्राप्त नहीं होने पर न्यायालय पत्रांक एसीएम/रीडर/2017/971 दिनांक 02.05.2017 से प्रतिवादी क्रम 1 तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा को जवाब दावा एवं साक्ष्य हेतु लिखे जाने पर पटवारी हल्का द्वारा मौका पर्चा रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 4 रकबा 0.89 हैक्टर के दक्षिण भाग पर लगभग 0.48 हैक्टर पर ग्राम खेडाजगपुरा निवासी देवलाल पुत्र परसा का कब्जा काशत है। मुताबिक रेकार्ड जमाबन्दी संवत 20790-2073 के खाता सं. 196 पर खसरा नम्बर 4 रकबा 0.89 हैक्टर नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादी क्रम 2 नगर विकास न्यास, कोटा की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि संवत 2070-2073 की जमाबन्दी में उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 2 नगर विकास न्यास, कोटा के नाम नामान्तरकरण तस्दीक होकर उसके खाते दर्ज होना स्वीकार है। दफा 98 नगर विकास न्यास अधिनियम का नोटिस दिया जाना आवश्यक है जिसके अभाव में दावा मेन्टेनेबल नहीं है।

पत्रावली के बहस में आने पर वादी एवं प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा बहस के साथ ही लिखित बहस पेश की गई जिसमें वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये वादी को आवंटित आराजी को पुनः गैरखातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालयों के गत निर्णयों की नजीर RRT 2008 Page 151 H.C., RRT 2013 Page 391, RRT 2001 Page 244 & RRT 2015 Page 451, 200 पेश की गई है। प्रतिवादी वकील द्वारा अपने जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी वर्तमान में नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज है तथा निवेदन किया कि वाद वादी खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। दौराने वाद प्रकरण में कायम किये गये तनकीयात का विश्लेषण इस प्रकार है -

1	<p>आया वादी की गैरखातेदारी में दर्ज भूमि को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज करने का अधिकार नहीं है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। इसके समर्थन में वादी द्वारा आवंटन पत्र तथा नामान्तरकरण पंजिका दिनांक 30.06.1981 की प्रति पेश की गई है जिसके मुताबिक विवादित आराजी को वादी की गैरखातेदारी में दर्ज करने का आदेश हुआ। आवंटन उपरान्त दिनांक 20.07.1981 को जारी नकल जमाबन्दी संवत 2034-2037 में इंतकाल नम्बर 83 आवंटन आदेश दिनांक 15.05.1981 देवलाल पुत्र परसा बंजारा दर्ज है। उक्त अवधि के उपरान्त सेटलमेन्ट (संवत 2038-2057) के दौरान आवंटन के अंकन को नजरअंदाज करते हुये विवादित आराजी को पूर्ववत सिवायचक दर्ज कर दिया। इस सम्बन्ध में वादी वकील द्वारा माननीय न्यायालयों के गत निर्णयों की पेश की गई नजीरों (RRT 2008 Page 151 H.C., RRT 2013 Page 391, RRT 2001 Page 244 &amp; RRT 2015 Page 451, 200) के अनुसार भी स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट विभाग को अंकन को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार वादी के कथन की पुष्टि होने से यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।</p>
2	<p>आया वादी सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गैरखातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को सिवायचक दर्ज भूमि को पुनः गैरखातेदारी में दर्ज करने का अधिकारी है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। तनकी नं. 1 के अनुसार विवादित आराजी को वादी की गैरखातेदारी में दर्ज करने का आदेश का इन्द्राज नामान्तरकरण पंजिका में हो रहा है अर्थात् विवादित आराजी वादी की गैरखातेदारी में थी। वादी की ओर से पेश किये गये धारा 91 के नोटिस एवं जुर्माना की रसीदों से वादी का कब्जा होना स्वतः सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादी के कब्जे काश्त एवं गैरखातेदारी में दर्ज आराजी को वादी, सेटलमेन्ट के पूर्व की स्थिति के अनुसार गैरखातेदारी में दर्ज कराना चाहता है। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में भी कथन किया था कि वादी का उक्त आवंटन आदिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है। किसी भी कृषक अथवा उपकृषक के कब्जे काश्त व उसके नाम दर्ज आराजी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अन्य के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान हुई त्रुटि दुरुस्त किये जाने योग्य है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।</p>
3	<p>आया वादी ने प्रतिवादी नं. 1 यू.आई.टी. को वाद प्रस्तुत करने के पूर्व नोटिस के अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी क्रम-2 पर था। इसके समर्थन में प्रतिवादी की ओर से अपने जवाब दावा में साक्ष्य शपथ पत्र डी.डबल्यू-1 के अन्तर्गत उल्लेख किया है कि नगर विकास न्यास, कोटा वर्तमान में रिकोर्डेड खातेदार है जिसके विरुद्ध दावा पेश करने के पूर्व नगर विकास न्यास अधिनियम के अन्तर्गत धारा 98 का नोटिस दिया जाना आवश्यक था, जो वादी द्वारा नहीं दिया गया इसके स्थान पर वादी द्वारा प्रकरण को अर्जेन्ट नेचर का बताते हुये धारा 80(2) जा.दी. के नोटिस के स्थान पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कि प्रावधानों के अन्तर्गत है। अतः तत्कालीन परिस्थितियों के मध्यनजर प्रकरण के अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण धारा 98 के नोटिस के अभाव में भी दावा स्वीकार किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में यद्यपि धारा 98 का नोटिस नहीं दिया गया तथापि वाद के प्रतिवादी के रूप में नगर विकास न्यास, कोटा की नियमानुसार तलवी कराई जाकर उनकी पूर्ण सुनवाई की गई और बयान दर्ज किये गये हैं। अतः नोटिस नहीं दिया जाना, अक्षम्य त्रुटि की श्रेणी में नहीं होने से यह तनकी प्रतिवादी क्रम-2 के विरुद्ध तय की जाती है।</p>

- 4 अनुतोष ? प्रकरण में वादी द्वारा आवंटन व गैरखातेदारी की स्वीकृति के आधार पर सेटलमेन्ट की पूर्व स्थिति के अनुसार विवादित आराजी पुनः अपनी गैरखातेदारी दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है जबकि प्रतिवादी क्रम 2 के विवादित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार होने के कारण वाद को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में कायम की गई तनकी नं. 1, 2 वादी के पक्ष में तथा तनकी नं. 3 प्रतिवादी क्रम-2 के विरुद्ध तय की गई है। अतः यह वादी के साक्ष्य तर्कसंगत होने के कारण वादी की अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है जिससे यह तनकी वादी के ही पक्ष में तय की जाती है।

उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण प्रकरण एवं इसमें कायम की गई तनकीयात के विशलेषणात्मक विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वादी को गत खसरा नम्बर 6 की 2 बीघा 9 बिस्वा विवादित आराजी का आवंटन हुआ तथा मुताबिक नामान्तरकरण पंजिका, उक्त आवंटन के आधार पर गैरखातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 30.06.1981 को हो चुका था। इसके पश्चात जमाबन्दी संवत् 2034-2037 में वादी को किये गये आवंटन का स्पष्ट उल्लेख है। तदुपरान्त सेटलमेन्ट कार्यवाही प्रारम्भ हो गई तथा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादी के आवंटन के अंकन को विलोपित कर विवादित आराजी को पूर्वानुसार ही सिवायचक दर्ज कर दिया। सेटलमेन्ट की कार्यवाही के उपरान्त, तहसीलदार को अभिलेख संभलाये जाने के दौरान, चूंकि आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गई थी जिसे कालान्तर में धारा 90-बी की कार्यवाही करते हुये नगर विकास न्यास, कोटा के खाते दर्ज किया गया। वादी द्वारा कब्जे काश्त के आधार पर धारा 91 के नोटिस व खसरा गिरदावरी की प्रतियां पेश की गई है जो विवादित आराजी पर वादी के कब्जे काश्त में होने की द्योतक है। जबकि वादी अपने आवंटन व नामान्तरकरण के आधार पर विवादित आराजी को अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती करते हुये प्रतिवादी क्रम 2 नगर विकास न्यास, कोटा के नाम दर्ज आराजी खसरा नम्बर 4 की 0.89 हैक्टर में से दक्षिणी पूर्व दिशा की 0.39 हैक्टर विवादित आराजी को सेटलमेन्ट के पूर्व की स्थिति के अनुसार मूल आवंटी देवलाल पुत्र परसा, जाति बंजारा, निवासी खेडाजगपुरा, जिला कोटा की गैरखातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13 जुलाई, 2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दुर्गा शंकर मीना)

13/7/18  
सहायक कलक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(मुख्यालय), कोटा

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा  
पीठासीन अधिकारी- श्री दुर्गा शंकर मीना, R.A.S.

बचनवान :-

- 1 देवलाल आत्मज परसा जी, जाति बंजारा, निवासी ग्राम खेडा जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (वादी)
- बनाम
- 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा
- 2 नगर विकास न्यास, कोटा (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89, 92A, 188 RTA  
मुकदमा नम्बर : 90/16  
निर्णय दिनांक : 13-07-2018

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से वादी अभिभाषक श्री राजेन्द्र वर्मा तथा प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी अभिभाषक श्री विद्याशंकर गोस्वामी की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने एवं प्रकरण के दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त आज तारीख 13-07-2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा शंकर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती करते हुये प्रतिवादी क्रम 2 नगर विकास न्यास, कोटा के नाम दर्ज आराजी खसरा नम्बर 4 की 0.89 हैक्टर में से दक्षिणी पूर्व दिशा की 0.39 हैक्टर विवादित आराजी को सेटलमेन्ट के पूर्व की स्थिति के अनुसार मूल आवंटी देवलाल पुत्र परसा, जाति बंजारा, निवासी खेडाजगपुरा, जिला कोटा की गैरखातदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 13.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(दुर्गा शंकर मीना)

आर.ए.एस.  
सहायक कलक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.) कोटा  
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2. अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. अदर्शों के लिये स्टाम्प		3. प्लीडर के लिये फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिये निर्वाह-ब्यय	
5. साक्षियों के लिये निर्वाह-ब्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6. कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	